झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान–सभा

द्वादश–सत्र

वर्ग–2

26 अग्रहायण,1935(श0)

निम्नलिखित अल्प सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक ————————————को

17 दिसम्बर,2013 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को संसूचित की गई सां0संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
17	अ0 सू0–11	श्री हरिकृष्ण सिंह	भवन का निर्माण	मानव संसाधन	05.12.2013
18	अ0 सू0–02	श्री विनोद कुमार सिंह	मानदेय में वृद्धि	मानव संसाधन	05.12.2013
19	अ0 सू0–09	श्री समरेश सिंह	वेतन विसंगतियों का निराकरण	मानव संसाधन	09.12.2013
20	अ0 सू0–16	श्री गोपाल कृष्ण पातर	महाविद्यालय की प्रस्वीकृति	मानव संसाधन	12.12.2013
21	अ0 सू0–14	श्री मथुरा प्रसाद महतो	शिक्षकों का सामंजन	मानव संसाधन	12.12.2013
22	अ0 सू0–05	श्री चन्द्रिका महथा	विभागों में समायोजन	मानव संसाधन	07.12.2013
23	अ0 सू0–03	श्री उमाकांत रजक	विशेष सुविधा मुहैया कराना	वन एवं पर्यावरण	05.12.2013
24 स्थानान्तरित	अ0 सू0–13	श्री प्रदीप यादव	बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करना	खनन् एवं भूतत्व से राजस्व एवं भूमि सुधार में स्थानान्तरित	12.12.2013
25	अ0 सू0–01	श्री विनोद कुमार सिंह	पंचायतों का अधिकार	खनन् एवं भूतत्व	05.12.2013
26	अ0 सू0–04	श्री बंधु तिर्की	वेतन का निर्धारण	मानव संसाधन	05.12.2013
27 स्थानान्तरित	अ0 सू0–06	श्री रघुवर दास	राजस्व क्षति की रोकथाम	खनन् एवं भूतत्व से राजस्व एवं भूमि सुधार में स्थानान्तरित	09.12.2013
28	अ0 सू0–08	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	अनुदान देना	मानव संसाधन	09.12.2013
29	अ0 सू0–12	श्री माधवलाल सिंह	कोयलरी को चालू करना	खनन् एवं भूतत्व	10.12.2013

(कृ0 पृ0 उ0)

01	02	03	04	05	06
30	अ0 सू0—10	श्री बंधु तिर्की	कटौती के समतुल्य राशि का अंशदान	मानव संसाधन	09.12.2013
31	अ0 सू0—07	श्रीमती मेनका सरदार	स्थापना एवं नियोजन	उद्योग	09.12.2013
32	अ0 सू0—15	श्री चन्द्रेश्वर प्र0 सिंह	कर्मियों का स्थायीकरण	मानव संसाधन	12.12.2013

राँची,
दिनांक—17 दिसम्बर,2013 (ई0)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या— 617 /वि0स0, राँची, दिनांक— 14/12/13 ई0।

प्रतिलिपि :— झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/ संसदीय कार्य मंत्री/नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव, तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

नवीन कुमार
14.12.13
(नवीन कुमार)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या— 617 /वि0स0, राँची, दिनांक— 14/12/13 ई0।

प्रतिलिपि :— अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव(प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नवीन कुमार
उप सचिव, 14.12.13
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या— 617 /वि0स0, राँची, दिनांक— 14/12/13 ई0।

प्रतिलिपि :— कार्यवाही शाखा एवं आश्वासन समिति शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नवीन कुमार
उप सचिव, 14.12.13
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

बहादुर/

14/12/13

(17)

श्री हरिकृष्ण सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-11

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका में मॉडल विद्यालय दो वर्षों से 10+2 विद्यालय के एक कमरा में चल रहा है और उसमे 160 से अधिक बच्चे है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। लातेहार जिलान्तर्गत मनिका प्रखण्ड में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् मॉडल विद्यालय वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् +2 विद्यालय, मनिका के नवनिर्मित दो तल्ला भवन के ऊपरी तल्ला में अवस्थित 4 कमरों में संचालित है तथा कुल नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या 76 है।
2	क्या यह बात सही है कि मॉडल विद्यालय के भवन निर्माण हेतु शिलान्यास भी किया गया था।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि विद्यालय के भवन के अभाव में बच्चों के पठन-पाठन में काफी दिक्कत हो रहा है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यद्यपि मॉडल विद्यालय का भवन का निर्माण नहीं हुआ है, तथापि मॉडल विद्यालय +2 विद्यालय, मनिका के 4 कमरों में संचालित है तथा छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.12.2010 की परियोजना स्वीकृति परिषद् (PAB) की बैठक में स्वीकृत किये गये 40 मॉडल विद्यालयों, जिसमें प्रश्नाधीन मॉडल विद्यालय भी सम्मिलित है, के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है तथा इन सभी विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु निविदा प्रकाशित की जा रही है।

16.12.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-39/2013.....3162...../ दिनांक...16-12-13...../

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

श्री विनोद कुमार सिंह, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-02

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्रीमती गीताश्री उरांव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत् राज्य में 84213 पारा शिक्षक संविदा पर कार्यरत् है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में 80830 पारा शिक्षक संविदा पर कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि पारा शिक्षकों का मानदेय समान पद पर कार्यरत् सरकारी शिक्षकों की तुलना में 50% से भी कम है, जिससे उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयनित पारा शिक्षकों का मानदेय नियमित रूप से राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्त शिक्षकों को मिलने वाले वेतन से कम है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पारा शिक्षकों का मानदेय वृद्धि करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना एंव बजट का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक तौर पर किया जाता है। पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान में भारत सरकार की 65% तथा राज्य सरकार द्वारा 35% राशि उपलब्ध करायी जाती हे। दिनांक 01.10.2012 के प्रभाव से निम्नांकत रूप से मानदेय अनुमान्य है– (तालिका नीचे) पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

उच्च प्राथमिक		प्राथमिक	
	देय मानदेय (रू0)		देय मानदेय (रू0)
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण	7000.00	शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण	6500.00
प्रशिक्षित	6700.00	प्रशिक्षित	6200.00
अप्रशिक्षित	6200.00	अप्रशिक्षित	5700.00

Maula 16/12/13

निदेशक (प्रा0शि0)–सह– संयुक्त सचिव।

झारखंड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक –8/अ7–04/2013:2450/ **राँची, दिनांक** 16/12/2013

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 228 दिनांक 05.12.13 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Maula 16/12/13

निदेशक (प्रा0शि0)–सह– संयुक्त सचिव।

19

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

श्री समरेश सिंह, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या मास-अ0सू0-09

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	**श्रीमती गीताश्री उरांव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि विभाग के संकल्प संख्या 824 दिनांक 30.05.2007 के तहत् 756 अनौपचारिक शिक्षा के अतिरेक कर्मचारियों को रिक्ति के विरूद्ध विभिन्न विभागों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 01.04.2001 से समाप्त कर दिये जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा भी इसे दिनांक 16.05.2001 के प्रभाव से बंद कर दिया गया। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत् कार्यरत 756 कर्मचारियों को विभागीय संकल्प सं0-824 दिनांक 30.05.07 द्वारा विभिन्न विभागों में इस शर्त्त के साथ समायोजित किया गया कि यह एक नयी नियुक्ति होगी और पूर्व की सेवा के आधार पर वरीयता या वेतन संरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
2.	क्या यह बात सही है कि उन अतिरेक कर्मचारियों के अतिरेक अवधि 2001 से 2007 तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वेतन भुगतान नहीं हुए है;	वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम समाप्त होने की तिथि अर्थात् 16.05.2001 से वर्ष 2007 में नियुक्ति के बीच की अवधि के वेतन हेतु कतिपय कर्मियों द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है और उच्च न्यायालय के आदेश से अवमाननावाद के कुछ मामलों में वादीगण को उक्त अवधि का वेतन भुगतान किया गया है। सदृश्य मामलों में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा एल0पी0ए0 दायर किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि उन अतिरेक कर्मचारियों के सामजन को नई नियुक्ति दिखलाये गये है;	इस खंड का उत्तर खंड-1 के उत्तर में निहित है।
4.	क्या यह बात सही है कि उनमें से 400 कर्मियों को कनीय पद और कनीय वेतनमान	वस्तुस्थिति यह है कि अनौपचारिक शिक्षा के कर्मियों का समायोजन के संकल्प संख्या

	पर समायोजित किये गये है;	824 दिनांक 30.05.2007 के कंडिक 11 के अनुसार नई नियुक्ति मानी गई है एवं पूर्व की वेतनमान सेवा के साथ परिगणित करने का निर्णय नहीं है। इसलिए विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर इनकी नई नियुक्ति की गई है। ऐसी स्थिति में नियुक्त किए गए पद के वेतनमान ही दिए गए है। अतएव यह मामला वेतन विसंगति का नहीं है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन कर्मियों के सेवा एवं वेतन की विसंगतियों का निराकरण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यह मामला सेवा एवं वेतन विसंगति का नहीं है, अतः निराकरण की कोई जरूरत नहीं है।

16/12/13

निदेशक (प्रा0शि0)-सह- संयुक्त सचिव।

झारखंड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक -8/वि2-24/2013-2442 राँची, दिनांक 16/12/2013

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 470 दिनांक 09.12.13 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

निदेशक (प्रा0शि0)-सह- संयुक्त सचिव।

(20)

श्री गोपाल कृष्ण पातर, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–16

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि टिनप्लेट यूनियन महिला इण्टर महाविद्यालय विगत 28 वर्षो से वित्त रहित संचालित है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि टिनप्लेट कंपनी द्वारा सबलीज भूमि पर टिनप्लेट यूनियन महिला इण्टर महाविद्यालय संचालित करने हेतु भूमि आवंटित किया गया है किन्तु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा भूमि संबंधी निर्धारित मापदण्ड के पूर्णता के अभाव में महाविद्यालय को प्रस्वीकृति प्रदान की गयी है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शैक्षणिक हित में प्रस्वीकृति के संबंध में भूमि संबंधित निर्धारित अर्हताओं को शिथिल करते हुए टिनप्लेट यूनियन महिला इण्टर महाविद्यालय को प्रस्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	किसी एक इंटर महाविद्यालय के लिए भूमि संबंधी निर्धारित अर्हताओं को शिथिल करने का कोई औचित्य नही है।

16.12.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
–सह–विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–12/स.5(1)–43/2013.....3179...../ दिनांक.....16-12-13...../

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
–सह–विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-17.12.13 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या -14

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में गठित अग्रवाल कमीशन द्वारा अनुशंसित पदो के विरुद्ध कार्यरत शिक्षकों की सेवा सामंजन हेतु निर्गत संकल्प सं0-717 की कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से माँग की गई है।	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका द्वारा बी0एस0के0 कॉलेज, बड़हरवा, जिला- साहेबगंज के शिक्षकों का सामंजन एवं वेतन निधारण का कार्य पूरा कर सरकार को भेजा गया है।	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार साहेबगंज बड़हरवा के शिक्षकों के सामंजन का निर्णय लेने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बी0एस0के0 कॉलेज, बड़हरवा चतुर्थ चरण अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालय है। ऐसे महाविद्यालयों के उन्हीं शिक्षकों की सेवा का अन्तर्लीनीकरण (absorption) किया जाना है, जिनका नाम अग्रवाल कमीशन की अनुसची IIIA एवं IV A में positive रूप से अंकित है। सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कुल 18 शिक्षकों के सेवा के सामंजन का निर्णय लेते हुये उनका वेतन निर्धारण किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के पत्रांक 84/12 दिनांक 14.02.2012 एवं पत्रांक 650/12 दिनांक 28.7.12 के द्वारा कमशः 10 एवं 23 कुल 33 शिक्षक के वेतन निर्धारण के अनुमोदन का प्रस्ताव भेजा गया है। अग्रवाल कमीशन की अनुसची IIIA में इनके नाम के सामने R-II/NR दर्ज है। R-II/NR को post recommended after cut of date and Non-recommended post बताया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 6098/97 में पारित न्यायादेश दिनांक 12.10.2004 की निष्कर्ष कंडिका 5 के अनुसार ऐसे नियुक्त शिक्षक की सेवा अन्तर्लीनीकरण योग्य नहीं हैं। फलतः इनके वेतन निर्धारण को अनुमोदित नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-22/2013...1884...../ रांची दिनांक-.......16.12.13.........../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-596 दिनांक-12.12.2013 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(22)

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

श्री चन्द्रिका महथा, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-05

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्रीमती गीताश्री उरांव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनौपचारिक शिक्षा के छटनीग्रस्त लिपिक, टंकक, पर्यवेक्षक एवं परियोजना पदाधिकारियों की सेवा को सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में समायोजित किया जा चुका है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनौपचारिक शिक्षा के केवल छटनीग्रस्त अनुदेशकों की सेवा को सरकार ने अबतक किसी भी विभाग में समायोजित नहीं किया है;	वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत नियत अवधि के लिए खोले गये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में स्थानीय स्तर पर अंशकालिक एवं स्वयं सेवा की भावना से कार्य करने हेतु अनुदेशक चयनित किये गये थे। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बंद हो जाने की स्थिति में इनकी सेवा की आवश्यकता नहीं रही। चुंकि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक केन्द्र संचालित होने तक की अवधि के लिए ही चयनित थे अतः केन्द्र बंद हो जाने के फलस्वरूप इन्हें छटनीग्रस्त नहीं माना जा सकता है। अनुदेशकों के समायोजन से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं0-डब्लू0पी0(एस0) 7867/12 तिलकधारी रविदास एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य भी खारिज हो गया है। अतः समायोजन का कोई प्रश्न नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छटनीग्रस्त अनुदेशकों की सेवा को राज्य के किसी भी विभागों में समायोजित करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्ड-2 के उत्तर में निहित है।

Mamla 16/12/13

निदेशक (प्रा0शि0)-सह- संयुक्त सचिव।

झारखण्ड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक -8/वि2-07/2013.....2464...../ राँची, दिनांक ...16/12/13

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 361 दिनांक 07.12.13 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mamla 16/12/13

निदेशक (प्रा0शि0)-सह- संयुक्त सचिव।

(23)

श्री उमाकांत रजक, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.12.2013 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0–03 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
संख्या–अ0–सू0–03, क्या मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के विभिन्न गाँवों में जंगली हाथियों से लोगों का जान–माल की क्षति हुई है और घरों एवं फसलों का बर्बादी भी हुई है।	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि इन क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा मृत व्यक्तियों को दो लाख मुआवजा देने का प्रावधान किया है तो मृत व्यक्तियों एवं घर तथा फसल बर्बादी का मुआवजा भी दिया गया है।	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि दो लाख मुआवजा मृतक के परिवार के लिए कम है तो क्या सरकार इनके लिए मुआवजा राशि 5 लाख रूपये करने की विचार रखती है। साथ ही प्रभावित आम लोगों को जिसे हाथियों द्वारा क्षति पहुँचाई गई है के लिए विशेष सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पूर्व में प्रावधानित मुआवजे की दर में वृद्धि करते हुये वर्ष 2012 में हीं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति की वन्यप्राणियों के द्वारा मृत्यु पर 02 लाख रूपये तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की वन्यप्राणियों के द्वारा मृत्यु पर 01 लाख रूपये मुआवजा का प्रावधान किया गया है। स्थायी अपंगता, घायल होने, मवेशी की मृत्यु, मकान व फसल के क्षतिग्रस्त होने पर भी मुआवजा का प्रावधान किया गया है। फिलहाल इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–वि0स0अल्प–सूचित–18/2013–4956 व0प0, राँची, दिनांक– 15/12/2013

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–232 दिनांक–05.12.2013 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(24)

प्रश्न		उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, स.वि.स. द्वारा दिनांक–17.12.13 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं.–13 क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	मा. मंत्री (प्रभारी), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है, कि कोल इंडिया की कम्पनियाँ (सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल.) ने वर्षों से हजारों एकड़ गैर मजरूआ भूमि उपयोग करने के एवज में आज तक राज्य सरकार को सलामी, रेंट और सेस के रूप में करीब 3000 करोड़ रूपये का भुगतान नहीं किया है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त बकाये राशि वसूली के लिए राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को खान विभाग से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब बकाया राशि वसूली का निदेश दिये जाने के बावजूद भी अब तक कोई फलाफल प्राप्त नहीं हुआ है,	उत्तर अस्वीकारात्मक है। BCCL, CCL एवं ECL द्वारा राज्य सरकार की भूमि उपयोग में लाये जाने से सम्बन्धित विवरणी की मांग सम्बन्धित उपायुक्तों से की गई। इसके संदर्भ में उपायुक्त, हजारीबाग/गिरिडीह/रामगढ़/चतरा से प्राप्त CCL की विवरणी के आधार पर 24,432,29 एकड़ गै.म. भूमि के उपयोग किये जाने के लिये रू. 3097,46,98,957/– (तीन हजार सन्तानबे करोड़ छेयालीस लाख अनठानबे हजार नौ सौ सनतावन) रू. भुगतेय सलामी आदि राशि की वसूली हेतु उपायुक्त, रामगढ़/हजारीबाग/चतरा/गिरिडीह को त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। शेष BCCL एवं ECL से सम्बन्धित उपयोग में लाई जानेवाली भूमि की विवरणी की मांग सम्बन्धित उपायुक्तों से की गई है। विवरणी प्राप्त होने पर भुगतेय सलामी आदि राशि की वसूली सम्बन्धित कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करने क लिए सुरक्षित ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत मामले में कोल बियरिंग एरियाज (एक्वीजीशन एवं डेभलपमेन्ट) एक्ट, 1957 तथा खास महल मैनुअल प्रावधान के आलोक में विभागीय स्तर से अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–6/वि.स. अ.सू.–99/13......3977..../रा0, राँची, दिनांक–16.12.13

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–595/वि.स. दिनांक–12.12.2013 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

V.S(Manoj)

16/12/2013

सरकार के अवर सचिव।

(25)

श्री विनोद कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :– **मंत्री– श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह**

क्र0स0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में बालू उठाव में निलामी की प्रक्रिया में राज्य से बाहर के संवदकों ने भाग लिया, जिसका भारी विरोध हुआ, फलतः सरकार को निवादा रद्द करनी पड़ी।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम–12 के प्रावधान के आलोक में बालूघाटों की बन्दोवस्ती संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा निलामी द्वारा की जा रही थी। उपरोक्त नियमावली के तहत बालूघाटों की नीलामी द्वारा बन्दोबस्ती की जा रही थी। उक्त नियमावली में राज्य से बाहर के संवेदकों को भाग नहीं लेने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू उठाव का अधिकार स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए पुर्ण रूप से पंचायतों को देने की विचार रखते है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दिनांक–12.12.2013 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये :, **"मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में बालू की बन्दोबस्ती ग्राम पंचायत के स्तर से किये जाने पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी एवं निदेश दिया गया कि तत्संबंधी प्रस्ताव नियमानुसार गठित कर मंत्रिपरिषद के विचारार्थ उपस्थापित किया जाय, साथ ही निविदा के माध्यम से राज्य में की गई बालूघाटों की बन्दोबस्ती को रद्द करने के प्रस्ताव की वैधिक समीक्षा करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय।"** उक्त निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक–वि.स.(अ.सू.)-10/13 1602 /एम0, राँची, दिनांक– 14.12.13

प्रतिलिपि– 200 प्रतियाँ के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–231, दिनांक–05.12.2013 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।,

14/12/13
सरकार के उप सचिव।

G.K.2

(26)

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

श्री बंधु तिर्की, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-04

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	**श्रीमती गीताश्री उरांव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में 05 सितम्बर, 2012 के प्रभाव से झारखण्ड प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति नियमावली-2012 बनायी गई है, इस नियमावली के नियम-1(ग) में अंकित है कि "यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगी";	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में 200 शिक्षकों की नियुक्ति 05 सितम्बर, 2012 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमावलियों/परिपत्रों के आलोक में सरकार के सक्षम स्तर घोषित क्षेत्रीय पदाधिकारियों की अनुशंसा एवं आदेश प्राप्त कर की गई है, जिनका वेतन निर्धारण एवं वेतन सम्पूष्टि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर नहीं हाने से शिक्षकों को वेतनादि का भुगतान लम्बित है;	वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के आलोक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उतीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस अधिसूचना निर्गत की तिथि के पश्चात नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने के फलस्वरुप वैसे नियुक्त शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उतीर्ण नहीं है का वेतन निर्धारण अनुमान्य नहीं है। इसलिए इन मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार अल्पसंख्यक विद्यालयों में 05 सितम्बर, 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण एवं वेतन सम्पूष्ट कर वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्ड के उत्तर में निहित है।

Mauli 16/12/13

निदेशक (प्रा0शि0)-सह- संयुक्त सचिव।

झारखण्ड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक -8/अ-7-03/2013......2448......../ **राँची, दिनांक** ..16/12/13

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 227 दिनांक 05.12.13 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mauli 16/12/13

निदेशक (प्रा0शि0)-सह- संयुक्त सचिव।

27

प्रश्न	उत्तर
श्री रघुवर दास, स.वि.स. द्वारा दिनांक–17.12.13 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं.–06 क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	मा. मंत्री (प्रभारी), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है, कि कोल बियरिंग एक्ट के तहत किसी भी भूमि पर खनन प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित राज्य सरकार से खास महल प्रावधान के तहत अनुमति, सलामी तथा निर्धारित अन्य प्रक्रिया पूरा करना आवश्यक है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत बी.सी.सी.एल, सी.सी.एल. और ई.सी.एल. के किसी भी खादान में कार्य करने के पूर्व राज्य सरकार से कोल बियरिंग एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमति नहीं ली गई है और न ही खास महल के नियमों के तहत सलामी एवं अन्य राजस्व का भुगतान किया गया है, फलस्वरूप राज्य सरकर को चार हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि की क्षति प्रति वर्ष हो रही है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। BCCL, CCL एवं ECL द्वारा राज्य सरकार की भूमि उपयोग में लाये जाने से सम्बन्धित विवरणी की मांग सम्बन्धित उपायुक्तों से की गई। इसके संदर्भ में उपायुक्त, हजारीबाग/गिरिडीह/रामगढ़/चतरा से प्राप्त CCL की विवरणी के आधार पर 24,432.29 एकड़ गै.म. भूमि के उपयोग किये जाने के लिये रू. 3097,46,98,957/– (तीन हजार सन्तानबे करोड़ छेयालीस लाख अनठानबे हजार नौ सौ सनतावन) रू. भुगतेय सलामी आदि राशि की वसूली हेतु उपायुक्त, रामगढ़/हजारीबाग/चतरा/गिरिडीह को त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। शेष BCCL एवं ECL से सम्बन्धित उपयोग में लाई जानेवाली भूमि की विवरणी की मांग सम्बन्धित उपायुक्तों से की गई है। विवरणी प्राप्त होने पर भुगतेय सलामी आदि राशि की वसूली सम्बन्धित कार्रवाई की जायेगी।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित राजस्व क्षति की रोकथाम के लिये कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक नही तो क्यों?	प्रश्नगत मामले में कोल बियरिंग एरियाज (एक्वीजीशन एवं डेभलपमेन्ट) एक्ट, 1957 तथा खास महल मैनुअल प्रावधान के आलोक में विभागीय स्तर से अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–6/वि.स.अ.सू.–99/13.....3976/रा0, राँची, दिनांक–16:12:13

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–459/वि.स. दिनांक–09.12.2013 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

V.S(Manoj)

16/12/2013

सरकार के अवर सचिव

(28)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-08

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के 453 अल्पसंख्यक विद्यालयों (मदरसा) में अनुदान राशि दी जाती थी, जिसमे से 153 उक्त विद्यालयों में अनुदान बन्द कर दी गई है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। मानव संसाधन विकास विभागान्तर्गत 453 अल्प संख्यक विद्यालयों (मदरसा) को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अविभाजित बिहार राज्य के समय से ही झारखण्ड राज्य में अवस्थित 186 प्रस्वीकृत प्राप्त मदरसों के कार्यरत कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान दिये जाते हैं तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में भी रुपया 28.00 करोड़ का अनुदान 186 मदरसों हेतु विमुक्त किया जा चुका है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित विद्यालयों (मदरसों) में अनुदान राशि बन्द होने से काफी बच्चे एवं विद्यालय कर्मी प्रभावित हुए है तथा विद्यालय कर्मियों में भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।	इस खण्ड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विद्यालयों (मदरसों) में अनुदान राशि देने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।

16.12.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-31/2013....3163...../ दिनांक....16-12-13.....

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

(29)

श्री माधव लाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :– **माननीय मंत्री– श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह**

क्र0स0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के जगेसर कोलयरी वर्ष 1989 से ही बन्द है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–I में वर्णित जगेसर कोलियरी में कार्यरत 20 (बीस) हजार मजदूरों का परिवार भूखमरी का शिकार हो रहा है।	यह श्रम विभाग से संबंधित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के अधीन स्थित जगेसर कोलियरी को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि कोल माईनिंग पालिसी 1979 के प्रावधानों में निहित कतिपय प्रतिबंध के कारण भारत सरकार द्वारा जगेसर कोलियरी को बिहार राज्य खनिज विकास निगम को आवंटित नहीं किया गया था। उपरोक्त पालिसी को दिसम्बर, 2001 में संशोधित किया गया, जिसके तहत राज्य सरकार के उपक्रमों को कोयला खनन हेतु प्राधिकृत किया गया। इस क्रम में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्रांक F.No.88035/2/97 – CA – CA – 1, New Delhi, the 11th April, 2008 द्वारा जगेसर एवं खास जगेसर कोल ब्लॉक सर्वश्री झारखण्ड खनिज विकास निगम (जे0एस0एम0डी0सी0) को आवंटित किया है। झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र में दिनांक–10.07.2008 को आवेदन दाखिल किया गया है। जागेश्वर कोल ब्लॉक में उत्खनन प्रारम्भ करने के उद्देश्य से जागेश्वर के 680.84 एकड़ क्षेत्र का भूतात्विक प्रतिवेदन सी०एम०पी०डी०– आई०एल०, राँची से रूपया– 1,63,38,750/–(एक करोड़ तिरसठ लाख अड़तीस हजार सात सौ पचास रूपया) में क्रय किया गया है। उक्त कोल ब्लॉक के बाबत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को बैंक गारन्टी के रूप में राशि रूपया 4.78 करोड़ भी जमा किया गया है।

		इस कोल ब्लॉक का माईनिंग प्लान तैयार कर दिनांक–10.09.2012 को अनुमोदन हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। साथ ही झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा वन अपयोजन प्रस्ताव भी तैयार कर दिनांक–27.07.2013 को वन विभाग, राँची को समर्पित किया गया है। झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया गया है। माईनिंग प्लान का अनुमोदन वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–5(1) के तहत पूर्वानुमोदन के प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी तत्पश्चात उक्त कोयला परियोजना से कोयला खनन कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक– वि०स० (अ०सू०)–11/2013 1615 /एम0, रॉची, दिनांक– 16/12/13

प्रतिलिपि– 200 प्रतियाँ के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–547, दिनांक–10.12.2013 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13.

सरकार के उप सचिव।

(30)

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

श्री बंधु तिर्की, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–10

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्रीमती गीताश्री उरांव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 01.12.2004 को या उसके बाद नियुक्त शिक्षाकर्मियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना 2004 के तहत् राजकीय/राजकीयकृत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षाकर्मियों की भाँति मूल वेतन के योग से 10 प्रतिशत राशि की कटौती के समतुल्य राशि सरकार द्वारा अंशदान के रूप में नही दी जा रही है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभाग के संकल्प पत्रांक 518/वि5 दिनांक 09.04.2004 के द्वारा राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए 01.12.2004 के प्रभाव से अंशदायी पेंशन योजना–2004 लागू किया गया है। उक्त अंशदायी पेंशन योजना में राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को सम्मिलित करने पर राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड–1 के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या 01.12.2204 को या उसके बाद नियुक्त राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय के शिक्षाकर्मियों की भाँति गैर सरकार सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षाकर्मियों को भी मूल वेतन के योग से 10 प्रतिशत राशि की कटौती के समतुल्य राशि अंशदान के रूप में देने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्ड के उत्तर में निहित है।

Maurla 16/12/13

निदेशक (प्रा0शि0)–सह– संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक –8/वि2–23/2013..2445 राँची, दिनांक ....16/12/.....2013

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 469 दिनांक 09.12.13 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Maurla 16/12/13

निदेशक (प्रा0शि0)–सह– संयुक्त सचिव।

(31)

श्रीमती मेनका सरदार, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07 की उत्तर सामग्री

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी सिंहभूम अन्तर्गत पोटका में ''भूषण स्टील लिमिटेड'' का कारखाना लगाना प्रस्तावित है ;	हाँ ''भूषण स्टील लि0'' का कारखाना पोटका में लगाना प्रस्तावित है। 07.09.2006 को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि भूषण स्टील स्थापना हेतु आदिवासी पिछड़े रैयतो से उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है, साथ ही सरकार द्वारा सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया गया है ;	कंपनी द्वारा 368.64 एकड़ भूमि के क्रय की सूचना प्रतिवेदित है।
3	क्या यह बात सही है कि रैयतों को भूमि के मुआवजा के साथ ही कारखानों में नियोजन का भी एकरारनामा किया गया है ;	ऐसी कोई सूचना विभाग को प्रतिवेदित नहीं है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भूषण स्टील की स्थापना शीघ्र कराने तथा रैयतों को आश्रितों को नियोजन दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कारखाना के स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 2241 /राँची, दिनांक 14-12-2013 /
01/उ0वि0/वि0स0–11/2013

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–467 दिनांक–09.12.2013 के आलोक में उत्तर की 250 (दो सौ पचास) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13
सरकार के अवर सचिव

(32)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-15

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष-2005 से जैक में कुल-272 दैनिक वेतनभोगी कर्मी नियुक्त हुए हैं, जिनमें पूर्व के 62 दैनिक/तदर्थ कर्मियों को क्रमशः सहायक, दिनचर्या लिपिक, चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थायी नियुक्ति कर दी गयी।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा वर्ष-2005 से 2009 की अवधि में 375 कर्मी नियत पारिश्रमिक पर Engage किये गये थे, जिसमें 271 वर्त्तमान में कार्यरत हैं। 61 अन्य कर्मी में से 59 कर्मी विघटित झारखण्ड इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, राँची कार्यालय में आकस्मिक रूप से विभाजन के पूर्व उत्तरवर्ती बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत थे, शेष दो चालक विघटित झारखण्ड माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा परिषद् से आये थे, जिन्हें परिषद् की बैठक दिनांक-01.12.2008 में लिए गये निर्णय के आलोक में ज्ञापांक-173/09 दिनांक-12.01.2009 द्वारा परिषद् के लिए सृजित (352) पदों पर राज्य सरकार के अनुमोदन के प्रत्याशा में सहायक, दिनचर्या लिपिक, चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर इनके योगदान की तिथि/स्थायीकरण की तिथि से समायोजित किया गया है, जो राज्य में लागू नियुक्ति नियमों के अनुरूप नहीं है एवं इसके विरूद्ध निगरानी जाँच कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मी क्रमशः स्व0 रवि सिंह एवं स्व0 महिपाल चन्द्र महतो की विधवाओं को सरकारी प्रावधानानुसार स्थाई रूप से दिनचार्या लिपिक के पद पर जैक के पत्रांक-3053/08, दिनांक-18.09.2008 एवं 1078/06, दिनांक-16.06.2006 द्वारा कर दी गयी है।	स्वीकारात्मक है। परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि उक्त दोनों कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति नियम के प्रतिकूल होने के कारण परिषद् की बैठक दिनांक-03.09.2012 प्रस्ताव संख्या-13 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि पुनर्विचार हेतु विधि परामर्श प्राप्त कर इसे परिषद् के अगली बैठक में रखा जाय। परिषद् के विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त परामर्श निम्नवत् है। चूँकि उपर्युक्त नियुक्ति का निर्णय तदेन पूर्ण गठित परिषद् द्वारा की गयी है, इसलिए इस पर पुनर्विचार भी पूर्ण परिषद् गठन होने के पश्चात् ही की जाय तथा पूर्ण परिषद् का गठन प्रक्रियाधीन है।

3.	क्या यह बात सही है कि पूर्व में 62 दैनिक/तदर्थ कर्मियों को छोड़कर वर्ष-2005 से नियुक्त शेष कुल 272 कर्मियों का स्थायीकरण अब तक नहीं किया गया है, जिससे इन कर्मियों में क्षोभ बढ़ता जा रहा है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है उल्लेखनीय है कि 271 दैनिक कर्मियों के संबंध में माननीय तत्कालीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिये गये नियमन का हवाला देते हुए मुख्य सचिव, झारखण्ड के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-28/सी0एस0 दिनांक-09.01.2010 के द्वारा परिषद् में हुई तथाकथित अवैध नियुक्तियों के संबंध में सरकार के द्वारा जाँच कराये जाने तक यथा स्थिति बनाये रखने का निदेश प्राप्त है। तदनुसार यथास्थिति बनी हुई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शेष बचे उक्त कुल 272 दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को भी स्थायी करना चाहती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निगरानी-जाँच के प्रतिवेदन के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-9/वि01-24/2013...184.........../ राँची, दिनांक-16.12.13.........../

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक-597 दिनांक-12.12.2013 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव